न्यायालय सहायक कलक्टर,उच्चैन(भरतपुर)

पीठासीन अधिकारीः– श्री सुरेश कुमार हरसोलिया (आर.ए.एस)

वाद पत्र कमांकः– 33 / 2025

1. सत्यप्रकाश पुत्र भूपसिंह जाति जाट निवासी सहना तहसील उच्चैन जिला भरतपुर।

...............वादी

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये लैण्ड होल्डर तहसीलदार तहसील उच्चैन।
2. भगवती पत्नि ईश्वरी
3. विश्वेन्द्र सिंह पुत्र ईश्वरी जाति जाट निवासी सहना तहसील उच्चैन।

.... प्रतिवादीगण

वादपत्र अन्तर्गत धारा 88,89,188 आर.टी.ए.

उपस्थितिः–

1. श्री धर्मेन्द्र चौधरी एडवोकेट वादी

निर्णय **दिनांकः–06.05.2026**

वादी ने यह वाद पत्र जरिये अधिवक्ता राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88,89,188 के तहत पेश कर निवेदन किया है कि मुझ वादी एवं प्रतिवादी संख्या 2 व 3 की खातेदारी की आराजी खसरा नम्बर 1360 / 1270 एवं 1359 / 1270 वाके ग्राम सहना तहसील उच्चैन में स्थित है। उक्त वर्णित आराजी का पुराना खसरा नम्बर 894 रकवा 3 बीघा 19 विस्वा था उक्त पुराने खसरा नम्बर 894 का मनवट के आधार पर आपसी सहमति से बंटवारा हो गया था तथा खसरा नम्बर 894 में से 894मिन पूर्व की तरफ का हिस्सा मुझ वादी का था एवं उक्त आराजी पश्चिमी हिस्सा 894मिन2 रकवा 0.15 विस्वा प्रतिवादी संख्या 2 व 3 का था। उक्त आराजी का पूर्व में बंटवारा तो हो गया था परन्तु राजस्व नक्शे में तरमीम नहीं हुयी थी लेकिन दौराने सैटलमेन्ट जब नये खसरा नम्बर बनाये गये तो राजस्व नक्शा में उक्त खसरा नम्बरान की तरमीम मौके के एवं विभाजन के विपरीत कर दी एवं जहॉ पूर्व दिशा की तरफ वादी का खसरा नम्बर 1360 / 1270 होना था वहॉ प्रतिवादी संख्या 2 व 3 का खसरा नम्बर 1359 / 1270 बना दिया एवं जहॉ प्रतिवादी संख्या 2 व 3 का कब्जा है वहॉ मुझ वादी का खसरा नम्बर बना दिया एवं नक्शे में मुझ वादी का चित्र बडा होना था वहॉ मेरा छोटा कर दिया एवं प्रतिवादी संख्या 2 व 3 का चित्र नक्शा में छोटा होना था उसको बडा कर दिया। वर्तमान में उक्त आराजी में होकर रेलवे विभाग ओवरब्रिज बना रहा है तथा जहॉ मेरी खातेदारी एवं कब्जे काश्त में से जो भूमि ओवरब्रिज में जा रही है उसकी तुलना में प्रतिवादी संख्या 2 व 3 की 1 / 4 हिस्सा ही जा रहा है चुंकि प्रतिवादी, संख्या 2 व 3 का रकवा 0.12है0 एवं मुझ वादी का रकवा 0.52है0 है। जबकि मुआवजा राशी प्रतिवादी संख्या 2 व 3 को मुझ वादी की अपेक्षा चार गुना मिल रही है। जब मुआवजा के संबंध में पत्र मुझ वादी को मिला

सहायक कलक्टर
उच्चैन (भरतपुर)

तब मुझे पता चला की उक्त आराजी की तरमीम खिलाफ मौका एवं कब्जा कर दी गई है। जब वादी तहसीलदार उच्चैन के पास उक्त खसरा नम्बरान के नक्शे में शुद्धि हेतु गया तो उनके द्वारा सक्षम न्यायालय से आज्ञा पारित करा कर लाने को कहा। जिसके कारण वादी ने उक्त वादपत्र इस न्यायालय में पेश किया है एवं खसरा नम्बर 1360/1270/0.52है0 की तरमीम मुताबिक मौका एवं कब्जा तरफ पूर्व की ओर एवं खसरा नम्बर 1359/1270/0.12है0 की तरमीम पश्चिम की तरफ किये जाने की आज्ञा पारित किये जाने का निवेदन किया है।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर। प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 2 व 3 एवं वादी ने दिनांक 14.10.2025 को राजीनामा पेश किया जो कि तस्दीकशुदा है। प्रतिवादी संख्या 1 तहसीलदार उच्चैन के द्वारा जबाव पेश कर निवेदन किया कि 1. ग्राम सहना में जमाबंदी संवत् 2075–78 के अनुसार आराजी खसरा नम्बर 1359/1270 रकवा 0.12है0 भगवती पत्नि ईश्वरी विश्वेन्द्र पुत्र ईश्वरी जाति जाट सा. देह खातेदार एवं आराजी खसरा नम्बर 1360/1270 रकवा 0.52है0 सत्यप्रकाश पुत्र भूपसिंह जाति जाट सा.देह खातेदार दर्ज रिकार्ड है।

2. आधार वर्ष सवंत् 2074–74 की जमाबन्दी अनुसार ग्राम सहना के आराजी खसरा नम्बर 1359/1270 रकवा 0.52है0 (पुराना खसरा नम्बर 894/1 रकवा 3–04 बीघा मुताबिक कुरे) सत्यप्रकाश पुत्र भूपसिंह जाति जाट सा. देह खातेदार एवं खसरा नम्बर 1360/1270 (पुराना खसरा नम्बर 894/2 रकवा 0–15 बीघा मुताबिक कुरे) भगवती पत्नि ईश्वरी, विश्वेन्द्र पुत्र ईश्वरी जाति जाट सा. देह खातेदार दर्ज रिकार्ड है।
3. मुताबिक आधार वर्ष संवत् और कुरे के ग्राम सहना के वर्तमान जमाबन्दी और नक्शा में आराजी खसरा नम्बर 1359/1270 का रकवा 0.12है0 के स्थान पर 0.52है एवं खातेदार भगवती पत्नि ईश्वरी, विश्वेन्द्र पुत्र ईश्वरी के स्थान पर सत्यप्रकाश पुत्र भूपसिंह और खसरा नम्बर 1360/1270 के रकवा 0.52है0 के स्थान पर 0.12है0 एवं खातेदार सत्यप्रकाश पुत्र भूपसिंह के स्थानप र भगवती पत्नि ईश्वरी, विश्वेन्द्र पुत्र ईश्वरी की शुद्धि किया जाना उचित है।

अभिभाषक वादी की बहस सुनी गयी। अभिभाषक वादी द्वारा वाद पत्र के तथ्यों को दोहराते हुये उक्त वाद पत्र को राजीनामा एवं तहसीलदार रिपोर्ट के मुताबिक डिक्री किये जाने का निवेदन किया है।

मेरे द्वारा योग्य अभिभाषक वादी की बहस पर मनन किया गया। वाद पत्र एवं वाद पत्र के साथ प्रस्तुत शपथ पत्र एवं राजस्व रिकार्ड जमाबंदी सम्बत् 2075–78, 2063–66, नामान्तरकरण रजिस्टर ग्राम सहना एवं वादी एवं प्रतिवादी संख्या 2 व 3 के द्वारा पेश राजीनामा दिनांक 14.10.2025 का अवलोकन किया गया। जमाबंदी के अवलोकन से स्पष्ट है कि उक्त दोनों विवादित आराजियों का रकवा राजस्व रिकार्ड में भिन्न–भिन्न है। वादीगण द्वारा उक्त प्रकरण में ऐसा कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया है जिससे स्पष्ट हो सके कि वादपत्र में वर्णित विवादित आराजी की तरमीम राजस्व नक्शे लट्ठे में सहवन से राजस्व विभाग द्वारा गलत कर दी गयी हो। वादी एवं प्रतिवादीगण संख्या 2 व 3 राजीनामा के आधार पर विवादित आराजी में अपने खातेदारी अधिकारों की घोषणा करवाना चाहते है। उक्त प्रकरण में वादी एवं प्रतिवादीगण राजस्व विभाग द्वारा निर्धारित स्टाम्प ड्यूटी अदा कर, उपपंजीयक

सहायक कलक्टर
उच्चैन (भरत

कार्यालय में उपस्थित होकर एक्सचेंन्ज डीड निस्पादित करा कर अनुतोष प्राप्त कर सकते है। स्पष्टतः उक्त प्रकरण वादी द्वारा स्टाम्प ड्यूटी अदा करने से बचाब हेतु प्रस्तुत किया जाना प्रतीत होता है। वादपत्र वादी खारिज किये जाने योग्य है।

अतः आदेश हैः—

वादपत्र वादी खारिज किया जाता है।

निर्णय लिखाया जाकर आज दिनांक 06.05.2026 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

सुरेश कुमार हरसोलिया(आर0ए0एस0)
सहायक कलक्टर
उच्चैन भरतपुर